न्यायालय अपर कलेक्टर, एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(सूचना का अधिकार अधि.) जिला–धमतरी, छत्तीसगढ़

प्रथम अपील प्रकरण कमांक 02/2021
ग्राम धमतरी तहसील व जिला धमतरी

अपीलार्थी तेज प्रताप सिंह
जनकपुर वार्ड कांकेर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी
कार्यालय कलेक्टर धमतरी .... उत्तरवादी

आदेश
(पारित दिनांक 4/2/2021)

अपीलार्थी तेज प्रताप सिंह जनकपुर वार्ड कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा जनसूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर धमतरी जिला धमतरी से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निम्नांकित जानकारी चाही गई थीः–

''मत्स्य विभाग धमतरी के सहायक संचालक एवं मत्स्य निरीक्षक के द्वारा वर्ष 2018 से 2019 तक करोड़ो रूपये का भ्रष्टाचार कर शासकीय अनुदान राशि गबन करने की शिकायत'' संबंधित प्रकरण की जांच की छायाप्रति की प्रमाणित सम्पूर्ण जानकारी की सत्यापति प्रति''।

जनसूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर धमतरी द्वारा समय–सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

2/ प्रकरण में जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपने ज्ञापन कमांक 340/जसूप्र/लि/2020 धमतरी दिनांक 11.01.2021 में जवाब पेश । जन सूचना अधिकारी के जवाब से यह ज्ञात होता है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2020 अस्पष्ट था, जिसके कारण जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को पत्र कं. 8760 ज.सू.प्र./लि./2020 धमतरी दिनांक 03.10.2020 भेजकर स्पष्ट आवेदन की मांग की गई थी । अपीलार्थी/आवेदक से स्पष्ट आवेदन प्राप्त होने के बाद तथा आवेदन पत्र सहायक संचालक मत्स्य धमतरी से संबंधित होने के कारण, जन सूचना अधिकारी कलेक्टर कार्यालय धमतरी के द्वारा कोई कार्यवाही न करते हुए, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 6(3)(ii) के प्रावधानानुसार सहायक संचालक मत्स्य विभाग धमतरी को कार्यवाही हेतु हस्तांतरित कर दिया गया ।

3/ प्रकरण में जन सूचना अधिकारी के जवाब से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का निकटतम संबंध मत्स्य विभाग के जन सूचना अधिकारी से है, इसलिए अपीलार्थी के आवेदन को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के प्रावधानानुसार सहायक संचालक मत्स्य विभाग धमतरी को हस्तांतरित किया गया है । जन सूचना अधिकारी का यह हस्तांतरण की कार्यवाही, पारित आदेश नहीं

है बल्कि सूचना के अधिकार के तहत् एक प्रकिया है। चूकि आदेश के विरूद्ध अपील किये जाने का प्रावधान है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील पत्र अस्वीकृत की जाती है। इस आदेश की कापी अन्य संबंधितों के साथ–साथ सहायक जन सूचना अधिकारी कार्यालय सहायक संचालक मत्स्य जिला धमतरी को भी भेजे।

यह आदेश आज दिनांक 4/2/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा से पारित किया गया।

(डी. के.अग्रवाल)
अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(सूचना का अधिकार अधिनियम)
जिला धमतरी (छ0ग0)

पृ.क्र. 64/वाचक / अ.कले. / 2021 धमतरी दिनांक 4/2/2021 5/2/2021

प्रतिलिपिः–

1– जन सूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर धमतरी को सूचनार्थ ।

2– जन सूचना अधिकारी कार्यालय सहायक संचालक मतस्य जिला धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– जिला सूचना केन्द्र धमतरी को जिला कार्यालय धमतरी के वेबसाइड में अपलोड हेतु अग्रेषित।

4– अपीलार्थी तेज प्रताप सिंह जनकपुर वार्ड कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) को सूचनार्थ अग्रेषित ।

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(सूचना का अधिकार अधिनियम)
जिला धमतरी (छ0ग0)